

# राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विस्तृत विज्ञापन

दिनांक : 17.07.2025

**क्रमांक:** विज्ञापन सं. 03/EXAM/A.En.(Agriculture)/RPSC/ EP-I/2025-26

आयोग द्वारा कृषि विभाग के लिए राजस्थान कृषि सेवा नियम, 1960 के अन्तर्गत सहायक कृषि अभियंता (Assistant Agriculture Engineer) के 281 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई है तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पद एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या (पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है) निम्नानुसार है :-

Name of Post	No. of Post(s)	Gen. (UR)				S.C.				S.T.				O.B.C.				M.B.C.				E.W.S.			
		GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV
Assistant Agriculture Engineer	281	71	20	8	2	32	9	4	0	24	7	3	0	42	12	4	1	10	3	1	0	20	6	2	0
Horizontal Reservation :- 1. Ex. Ser. - Gen./UR-5, SC-2, ST-1, OBC-2, MBC-0, EWS-1 2. P.H. - (i) B/LV-3 (ii) D.H.H.- 3 (iii) LD/CP & Ors.-3, (iv) (a) I.D., M.I., S.L.D & Autism (b) Mul.Dis. - 3																									

**Abbreviations Used:** GEN – General, U.R.- Unreserved, SC – Scheduled Castes, ST- Scheduled Tribes, OBC – Other Backward Classes, MBC- More Backward Classes, EWS – Economically Weaker Sections, GEN WE – General Women, WD-Widow, DV-Divorced, B/LV- Blindness/Low Vision, D-Deaf, H.H.-Hard of Hearing, LD/CP & Others – Locomotor Disability including Cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy, Spinal Deformity (SD)/Spinal Injury (SI) without any associated neurological/limb dysfunction, I.D. - Intellectual disability, M.I.- Mental Illness, S.L.D. - Specific Learning Disability, Mul.Dis.- Multiple Disability, Ex. Ser. – Ex Serviceman, P.H. – Physical Handicapped.

**नोट :-**

- कार्मिक (के-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों एवं कार्मिक (के-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए पिछड़े वर्गों और यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के पात्र तथा उपयुक्त अर्थात् उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चातवर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संग्रहित नहीं किया जायेगा परन्तु यदि और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आवधित रोस्टर के प्रयोजन के लिए आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर के अरक्षण पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों में से भरा जाएगा जिनके लिए ऐसी रिक्तियों वर्षों में उपलब्ध हो।
  - राजस्थान राज्य के अधिकृत रूप से कमज़ोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अर्थात् उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
  - किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विड्हिन विवाह/परिवर्यता/तलाकशुदा महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अर्थात् विशेषों के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह/परिवर्यता/तलाकशुदा महिलाओं से या इसके विपरीत (Vice Versa) के लिए आरक्षित रिक्तियों से भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विड्हिन विवाह/परिवर्यता/तलाकशुदा अर्थात् विशेषों के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गयी उसी प्रर्बद्ध की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अर्थात् विशेषों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष अर्थात् विशेषों के उपलब्ध न होने की जायेगी। महिला अर्थात् विशेषों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां वर्ष के लिए अग्रीत नहीं की जायेगी। विधवाओं और विड्हिन विवाह/परिवर्यता/तलाकशुदा महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षेत्रिक आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में व्यवस्थित महिलाओं को भी पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।
  - विशेष योग्यजन/निःशक्तजन के लिए दर्शक गण एवं पदों का आरक्षण क्षेत्रिक (Horizontal) है अर्थात् अर्थात् जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
  - राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सेनिकों का ऑमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सेनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रदर्शित क्षेत्रिक (Categorywise-Horizontal) होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सेनिकों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों को प्रदर्शित करने की उपलब्धता नहीं होगी।
  - राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्तियों की समान संख्या आते भर्ती वर्ष में अग्रीत की जायेंगी तथा तत्पश्चात ऐसी रिक्तियां व्यपगत हो जायेंगी।
  - राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्तियों की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो उसे प्रधानमंत्री निःशक्तजन की निधानित श्रेणियों में अन्तर्वर्तीर्वर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उसे निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति किया जायेगा।
  - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आरक्षित रूप से कमज़ोर वर्ग एवं भूतपूर्व सेनिकों को हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के अधेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उक्त सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा C.A. No. 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.S.A.W. No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे public employment में एसरी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उक्त सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
  - कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 15.03.2013 एवं 21.11.2019 के अनुसार ही उत्कृष्ट खिलाड़ी की पात्रता रखने वाले अर्थात् विशेषों को आरक्षण का लाभ देय होगा।
- टिप्पणी:-** बिन्दु संख्या 01 से 08 तक के प्रावधान संबंधित वर्ग के अंतर्गत पद आरक्षित होने की स्थिति में ही लागू होंगी।

**शैक्षणिक योग्यता :-**

(1) Degree in Agriculture Engineering of a University established by law in India.

(2) Working knowledge of Hindi written in Devnagri Script and knowledge of Rajasthan Culture.

**शैक्षणिक अर्हता** उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्प्रीत हो चुका है या सम्प्रीत हो रहा है, वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के संबंधी प्रावधान लिए प्रतीक्षा रखा जाएगा।

**Note:** 1. अर्थात् को वार्षिक शैक्षणिक अर्हता (शैक्षणिक योग्यता) होने पर ही Online आवेदन करना चाहिये तथा ऐसे अर्थात् विशेषों को आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमत संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रत्याहरित (Withdrawal) करने का विकल्प उपलब्ध होगा।

2. असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसी प्रत्याहरित (Withdrawal) नहीं किया जाना मारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 217 के तहत बदलीय अपराध है। ऐसे अर्थात् को कालान्तर में काउस्टिलिंग/पात्रता जावा/साक्षात्कार के दौरान अपात्र पाये जाने पर इस परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन को निरस्त करते हुए आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से विवर्जित (Debar) किया जायेगा।

**पे-मैट्रिक्स लेवल** पे-मैट्रिक्स लेवल L-14

**नोट :-** राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षाकाल में नियत मासिक वेतन (Fix Pay) देय होगा।

**आयु सीमा** दिनांक 01.01.2026 को न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए।

**नोट :-** उक्त पदों पर आयोग द्वारा पूर्ण में वर्ष 1998 में भर्ती की गई थी तत्पश्चात उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अतः जो अर्थात् दिनांक 01.01.2026 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें संबंधित सेवा नियम में विहित प्रावधानानुसार अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की अतिरिक्त

छूट देय होंगी।

**विज्ञापित पदों के अनुरूप दर्शाई गई वर्गवार्ग की रिक्तियों के अनुसार विभिन्न वर्गों/अन्य विशेष श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के प्रावधान**

क्र.सं.	अन्य विशेष श्रेणियों का वर्ग एवं अन्य विशेष श्रेणियां	अधिकतम आयु में देय छूट
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आरक्षित रूप से कमज़ोर वर्ग के पुरुष अर्थात्	5 वर्ष Five Years
Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State		
2.	सामान्य वर्ग की महिला	5 वर्ष Five Years
Women Candidates belonging to General Category		
3.	राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आरक्षित रूप से कमज़ोर वर्ग	10 वर्ष Ten Years

	की महिला अन्यर्थी Women Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections (E.W.S.) of Rajasthan State	Ten Years
4.	विवाह एवं विच्छिन्न विवाह (प्रेरितकर्ता) महिला Widow and divorced Women <b>Explanation:</b> - That in the case of widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in case of divorcee, she will have to furnish the proof of divorcee.	अधिकतम आयु सीमा नहीं No Upper age limit
5.	भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर Substantive रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी। That the upper age limit mentioned above shall not apply in the case of an ex-prisoner who had served under the Government on a substantive basis on any post before his conviction and was eligible for appointment under the Rules.	के मामले में उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
6.	अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व अधिकार्य का नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी। That in the case of other ex-prisoner the upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served by him provided he was not overage before his conviction and was eligible for appointment under the Rules.	अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व अधिकार्य का नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।
7.	कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा में, उनके द्वारा, राष्ट्रीय कैडेट कार्य में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि को शिथिल किया जायेगा यदि परिणामिक आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो ऐसे अन्यर्थी को विहित आयु सीमा में समझा जायेगा। That the upper age limit mentioned above shall be relaxable by a period equal to the service rendered in the N.C.C. in the case of Cadet Instructors and if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, they shall be deemed to be within the prescribed age limit.	कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा में, उनके द्वारा, राष्ट्रीय कैडेट कार्य में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि को शिथिल किया जायेगा यदि परिणामिक आयु सीमा में समझा जायेगा।
8.	इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपरिवर्णित के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें वो अवसर दिये जायें। That the persons appointed temporarily to a post in the Service shall be deemed to be within the age limit had they been within the age limit when they were initially appointed even though they have crossed the age limit when they appear finally before the Commission and shall be allowed up to two chances had they been eligible as such at the time of their initial appointment.	इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपरिवर्णित के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें वो अवसर दिये जायें।
9.	राजस्थान राज्य के कारोबार में Substantive रूप से सेवारत व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। Notwithstanding anything contained contrary in these Rules in the case of persons serving in connection with the affairs of the State in substantive capacity, the upper age limit shall be 40 years for direct recruitment to posts filled in by competitive examinations or in case of posts filled in through the Commission by interview.	राजस्थान राज्य के कारोबार में Substantive रूप से सेवारत व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
10.	निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात जब वे आयोग के समक्ष उपस्थित हों, आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे। That the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after release from the Army shall be deemed to be within the age-limit even though they have crossed the age-limit when they appear before the Commission, had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army.	निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात जब वे आयोग के समक्ष उपस्थित हों, आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे।
11.	पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपकरणों/नियमों के कार्य कलापों के सम्बन्ध में Substantive रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। That the upper age limit for persons serving in connection with the affairs of the Panchayat Samitis and Zila Parishads and in the State Public Sector Undertakings/Corporation in Substantive capacity shall be 40 years.	पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपकरणों/नियमों के कार्य कलापों के सम्बन्ध में Substantive रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
12.	रिजर्विस्टों अर्थात् रक्षा सेवा कार्यक्रमों जिनको रिजर्व में स्थानान्तरित किया गया था, के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी। Provided that the upper age limit for the reservists, namely defence Service Personnel transferred to the reserve, shall be 50 years.	रिजर्विस्टों अर्थात् रक्षा सेवा कार्यक्रमों जिनको रिजर्व में स्थानान्तरित किया गया था, के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
13.	राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां निम्नतर पद पर अनुभव भी अनिवार्य है वहां भूतपूर्व सैनिकों द्वारा नियमों के अधीन पहले से ही उपस्थित आयु में दिये गये शिथिलीकरण के अतिरिक्त निम्नतर पद पर के अपेक्षित अनुभव की कालावधि के बराबर आयु में शिथिलीकरण दिया जायेगा। परन्तु इन नियमों के अधीन शिथिलीकरण के पश्चात यदि अनुभव आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी किन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है वहां 55 वर्ष की अधिकतम ऊपरी आयु सीमा लागू होगी। According to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules 1988, relaxation in upper age limit shall be 10 years to Ex-servicemen; Provided that in case of direct recruitment where experience is also essential on lower post then relaxation in age equal to the period of requisite experience of the lower post shall be given to the ex-servicemen in addition to the relaxation in age already provided under these rules; Provided that permissible age after relaxation under this rule work out to be more than 50 years then upper age limit of 55 years shall be applicable. स्पेश्लीकरण :- कैफियत (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.8.2019 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 यथासंशोधित के प्रावधानों के होते हुए भी किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो शिथिलता अन्य लोक संबंधों/अन्यर्थियों को देय है, वह भूतपूर्व सैनिक को भी देय होगी अर्थात् आयु संबंधी शिथिलता के संबंध में दोनों नियमों में जो भी दित्तकर प्रावधान है, उसका लाभ भूतपूर्व सैनिकों को निलेगा।	राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां निम्नतर पद पर अनुभव भी अनिवार्य है वहां भूतपूर्व सैनिकों द्वारा नियमों के अधीन पहले से ही उपस्थित आयु में दिये गये शिथिलीकरण के अतिरिक्त निम्नतर पद पर के अपेक्षित अनुभव की कालावधि के बराबर आयु में शिथिलीकरण दिया जायेगा। परन्तु इन नियमों के अधीन शिथिलीकरण के पश्चात यदि अनुभव आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी किन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है वहां 55 वर्ष की अधिकतम ऊपरी आयु सीमा लागू होगी।
14.	राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निःशक्तिपूर्ण व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी। According to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shall be relaxed by 05 years for persons with benchmark disabilities.	राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निःशक्तिपूर्ण व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी।
नोट :- विभिन्न वर्गों/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावधानों जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम/तक की आयु सीमा में छूट दी गई हो, स्वतः ही निष्पादाती माने जायेंगे।		
नोट :-		
1.	उपर्युक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के बिन्दु संख्या 01 से 13 तक के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अन्यर्थियों को उपर्युक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।	उपर्युक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के बिन्दु संख्या 01 से 13 तक के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अन्यर्थियों को उपर्युक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
2.	उपर्युक्त विन्दु संख्या 01 से 13 तक के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दिये जाने के पश्चात, विन्दु संख्या 14 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार अन्यर्थियों को उपरी आयु सीमा में अतिरिक्त छूट देय होगी।	उपर्युक्त विन्दु संख्या 01 से 13 तक के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दिये जाने के पश्चात, विन्दु संख्या 14 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार अन्यर्थियों को उपरी आयु सीमा में अतिरिक्त छूट देय होगी।
3.	कार्यक्रम (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.7.2017 वर्ष पत्र दिनांक 14.9.2017 वर्ष पत्र दिनांक 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व लैटिज (Horizontal) आस्थान के अंतर्गत किसी श्रेणी के लिए आरक्षित पर्याप्त हेतु यदि किसी अन्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे- आयुसीमा, अंक, फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे सामान्य (अनारक्षित) रिक्विझिशन के प्रति विनाशित नहीं किया जायेगा।	कार्यक्रम (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.7.2017 वर्ष पत्र दिनांक 14.9.2017 वर्ष पत्र दिनांक 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व लैटिज (Horizontal) आस्थान के अंतर्गत किसी श्रेणी के लिए आरक्षित पर्याप्त हेतु यदि किसी अन्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे- आयुसीमा, अंक, फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे सामान्य (अनारक्षित) रिक्विझिशन के प्रति विनाशित नहीं किया जायेगा।
4.	राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अन्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अन्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
5.	अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अकित दिये गये हैं। किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अकित प्रावधान ही मान्य होगे।	अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अकित दिये गये हैं। किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अकित प्रावधान ही मान्य होगे।
<b>अन्य विवरण</b>		
चयन प्रक्रिया	अन्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। आवश्यकता होने पर आयोग द्वारा उत्तरपत्रक/उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन में रक्केलिंग/मोडरेशन/नॉर्मलाइजेशन (सामान्यीकरण) प्रक्रिया को अपनाया जा सकता। संबंधित सेवा नियम के नियम 22 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रकृत से जारी किया जाएगा।	अन्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। आवश्यकता होने पर आयोग द्वारा उत्तरपत्रक/उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन में रक्केलिंग/मोडरेशन/नॉर्मलाइजेशन (सामान्यीकरण) प्रक्रिया को अपनाया जा सकता। संबंधित सेवा नियम के नियम 22 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रकृत से जारी किया जाएगा।
परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	परीक्षा वस्तुपूर्ण रूप में (Offline/Online) ली जायेगी। सभी प्रश्न वस्तुपूर्ण प्रकार (Multiple choice type question) के होंगे।	परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रकृत से जारी किया जाएगा।
परीक्षा का स्थान व नाम	परीक्षा स्थान व विधि के संबंध में यथासमय सुचित किया जायेगा।	परीक्षा स्थान व विधि के संबंध में यथासमय सुचित किया जायेगा।
आवेदन अवधि	दिनांक 28.07.2025 से दिनांक 26.08.2025 रात्रि 12:00 बजे तक।	दिनांक 28.07.2025 से दिनांक 26.08.2025 रात्रि 12:00 बजे तक।
आवेदन प्रक्रिया	1. उक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अन्यर्थी आयोग की वेबसाइट <a href="https://rpssc.rajasthan.gov.in">https://rpssc.rajasthan.gov.in</a> पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों (Instructions for Applicants), विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियम	1. उक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अन्यर्थी आयोग की वेबसाइट <a href="https://rppsc.rajasthan.gov.in">https://rppsc.rajasthan.gov.in</a> पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों (Instructions for Applicants), विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियम

	<p>का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेवें। तदुपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अभ्यर्थियों के लिए दिशा-निर्देश (Instructions for Applicants) विज्ञापन का भाग /हिस्सा माना जायेगा तथापि किसी विशेष भर्ती/परीक्षा हेतु संबंधित भर्ती सेवा नियम एवं विज्ञापन में उल्लेखित प्राक्वान ही लागू होंगे।</p> <p>2. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट <a href="https://rpsc.rajasthan.gov.in">https://rpsc.rajasthan.gov.in</a> पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल <a href="https://sso.rajasthan.gov.in">https://sso.rajasthan.gov.in</a> से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम बार One Time Registration (OTR) करने हेतु अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेष्णरी/समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड के विवरण का इन्ड्राज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे।</p> <p>3. जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में OTR किया जा चुका है, वे अभ्यर्थी एस.एस.ओ. पोर्टल <a href="https://sso.rajasthan.gov.in">https://sso.rajasthan.gov.in</a> से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर अपने OTR नंबर/संख्या के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करें।</p> <p>4. अभ्यर्थी द्वारा One Time Registration करने के पश्चात OTR Profile में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेष्णरी/समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड के विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना समव नहीं होगा। अतः OTR करने से पूर्व आधार /SSO प्रोफाइल में अकित विवरण का शैक्षणिक दस्तावेजों में अकित प्रविष्टियों से सावधानपूर्वक मिलान सुनिश्चित कर लेवे। यदि इनमें कोई अन्तर है तो आधार कार्ड /SSO ID की प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन (Correction) कराने के पश्चात ही OTR व ऑनलाइन आवेदन पत्र मरने की कार्यवाही करें।</p> <p>Note: ऑनलाइन आवेदन पत्र मरने से पूर्व अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र Submit करने से पूर्व अपनी Live फोटो का Preview देखकर फोटो की स्पष्टता को सुनिश्चित करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र को Submit करें।</p> <p>5. अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी लाइव फोटो अपलोड करेगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र Submit करने से पूर्व अपनी Live फोटो का Preview को आवेदक की स्पष्टता को सुनिश्चित करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र को Submit करें।</p> <p>6. अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय हस्ताक्षर एवं बैंगें हाथ की अंगूठा निशानी की रैक्न फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। परीक्षा आयोजन के दौरान परीक्षा कक्ष में अभिजागर की उपस्थिति में अभ्यर्थी के द्वारा उपस्थिति पत्र पर पृथक से अंगूठा निशानी की लगाई जायेगी।</p> <p>7. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन अवधि के दौरान की दिनांकित नवीन फोटो परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति पत्रक पर चस्पा करने हेतु साथ लेकर आयें।</p> <p>8. अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में श्रुतलेखक संबंधी विकल्प का अनिवार्य रूप से चयन करना होगा। उक्त विकल्प का चयन नहीं किये जाने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।</p> <p>9. अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित की जा चुकी सभी शैक्षणिक योग्यता/अनुमत का विवरण आवेदन पत्र में स्पष्टतः एवं आवश्यक तौर पर अकित करें।</p> <p>10. आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन-पत्र क्रमांक (Application No.) अकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं माना जायेगा।</p> <p>11. आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करें।</p> <p>12. आवेदक जिस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑन-लाईन आवेदन करें। गलत सूचना देने/तथ्य छुपाने पर आयोग अभ्यर्थी पर डिवार सहित नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।</p> <p>13. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से मिन राज्यों की अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक समान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा।</p> <p>14. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के पश्चात आवेदन पत्र की हाई कॉफी का प्रिन्ट आवश्यक रूप से निकाल लें।</p> <p>15. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात आयोग की वेबसाइट पर Exam Dashboard का समय-समय पर अवलोकन करें व्यक्तिके आयोग की परीक्षाओं/भर्ती संबंधित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित/अपलोड की जाती है। पृथक से सूचना/पत्र जारी नहीं किया जाता है।</p> <p>16. आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रियानुसार ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के अंतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य कोई ऑफलाइन या ऑफलाइन/हाथ से भरा हुआ आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार का ऑफलाइन पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।</p>
--	--

ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना :- ऑनलाइन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में OTR Profile में दर्शाए गये स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अंतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन नियमानुसार कर सकता है तथापि विज्ञापन में अकित तिथि/अवधि तक शैक्षणिक योग्यता अर्जित करना आवश्यक है-

1. यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदक की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क रूपये 500/- का ऑनलाइन भुगतान कर आवेदन पत्र में Online संशोधन (आयोग की वेबसाइट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध दिशा-निर्देशनुसार) कर सकता है। इसके पश्चात किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं एसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।

2. आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि से 60 दिवस पूर्व 07 दिन के लिए ऑनलाइन रेडिट हेतु विकल्प खेला जायेगा जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी के अंतर्गत अभ्यर्थी की अवधि वर्ग के अंतर्गत आते हैं।

Note: विच्छिन्न विवाह/परिवर्तन की अवधि अंतर्गत आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑनलाइन संशोधन के अवसरों का उपयोग कर सकते हैं।

3. One Time Registration (OTR) लागू किये जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन की अवधि अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग में किसी स्तर पर कोई संशोधन संभव नहीं होगा।

4. किसी भी प्रकार के संशोधन के पश्चात अभ्यर्थी को एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित किया जायेगा एवं किए गए संशोधन की पुष्टि ओ.टी.पी. के माध्यम से की जायेगी।

5. सभी प्रकार के अनुभूत संशोधन हेतु शुल्क 500/- रूपये निर्धारित है।

6. आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन के पश्चात किसी भी प्रकार का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा।

7. आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रिया के अंतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा व उक्त संशोधन प्रक्रिया के उपरान्त कोई भी अवधि नहीं होगा।

एकबारीय पंजीयन शुल्क :- कार्मिक (क-2) विभाग के परिषद दिनांक 19.04.2023 के द्वारा समव भर्ती परीक्षाओं में एकबारीय पंजीयन शुल्क निर्धारित किया गया है जो निम्नानुसार है-

1. सामान्य (अनारक्षित)/पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थी – रूपये 600/-

2. आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जनजाति/विच्छिन्न विवाह/परिवर्तन स्वीकार) के अभ्यर्थी – रूपये 600/-

3. दिव्यांगजन – रूपये 400/-

नोट :-

1. राजस्थान राज्य से मिन अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा।

2. जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में वन टाईम रेजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, वे अभ्यर्थी भी एसएसओ आईडी द्वारा लॉग इन कर वन टाईम रेजिस्ट्रेशन के अंशान पर जाकर उपर्युक्तानुसार निर्धारित एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा करवाएं।

एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा करने के पश्चात परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थी को लिए कार्मिक (क-2) विभाग दिनांक 09.05.2025 जारी किया गया है जो कि निम्नलिखित है-

(i) कोई अभ्यर्थी आयोग/बोर्ड व अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा एक वित्तीय वर्ष (दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च) में आयोजित 02 भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होता है तो

ऐसी स्थिति में अन्यथा के ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को प्रतिबन्धित (Block) कर दिया जायेगा।

- (ii) अन्यथा द्वारा शुल्क 750/- रुपये का भुगतान करने के पश्चात ही एकबारीय पंजीयन शुल्क (O.T.R.) को पुनः चालू (Unblock) किया जायेगा।
  - (iii) एक बार O.T.R. पुनः चालू (Unblock) होने पर यदि अन्यथा उसी वित्तीय वर्ष में 02 और परीक्षाओं में अनुपरिस्थित रहता है तो उसकी ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को पुनः प्रतिबन्धित (Block) कर दिया जायेगा।
  - (iv) पुनः एक बार O.T.R. को अन्यथा के द्वारा राशि रुपये 1500/- का भुगतान करने के पश्चात ही ओ.टी.आर. सुविधा पुनः चालू की जायेगी।
- टिप्पणी—यदि कोई आवेदक किसी जाने का अवसर प्रदान करने पर आवेदन पत्र प्रत्याहारित किये जाने पर इस परीक्षा में ओ.टी.आर. प्रतिबन्धित करने के संदर्भ में अनुपरिस्थित नहीं माना जायेगा।

विशेष योग्यजन/दिव्यांगजन अन्यथियों को श्रुतलेखक/क्षतिपूरक समय उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में विशेष निर्देश:-

1. अन्यथा द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिव्यांगजन ऐणी भरे जाने तथा श्रुतलेखक संबंधी विकल्प का चयन किये जाने का अभिप्राय यह नहीं है कि वह श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र/योग्य है। श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए अन्यथा को आयोग द्वारा जारी निर्देशों की पालना किया जाना आवश्यक है अन्यथा अन्यथा को श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।
2. ऐसे दिव्यांगजन अन्यथा जो स्वयं का श्रुतलेखक लाना चाहते हैं, उन अन्यथियों को परीक्षा दिनांक से कम से कम एक दिवस पूर्व दिव्यांगता का वाचित चिकित्सा प्रमाण—पत्र, अन्यथा एवं श्रुतलेखक का वचन—पत्र, श्रुतलेखक के फोटो पहचान पत्र व शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण की प्रतिलिपि केन्द्रीकृत को प्रस्तुत करनी होगी।
3. ऐसे दिव्यांगजन अन्यथा जो आयोग/केन्द्रीकृत को स्रुतलेखक प्राप्त करना चाहते हैं, उन अन्यथियों को परीक्षा दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व दिव्यांगता का वाचित चिकित्सा प्रमाण—पत्र, अन्यथा का वचन—पत्र केन्द्रीकृत को प्रस्तुत करना होगा।
4. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(r) के तहत प्रभावित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत या 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता) की श्रुटिपूरक दृष्टिपोषित (Blindness), लोकोमोटर डिसेबिलिटी (दोनों हाथों की निःशक्तता—Both Arms) एवं सेरेब्रल पाल्सी श्रेणी वाले अन्यथा द्वारा चाहने पर, दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण—पत्र, अन्यथा एवं श्रुतलेखक का वचन—पत्र के आधार पर श्रुतलेखक की सुविधा दी जायेगी। उक्त श्रेणियों के अलावा Section- 2(r) के तहत परिमाणित अन्य श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्पिता के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण—पत्र (आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध Appendix-C), दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं श्रुतलेखक का वचन—पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय होगी और/या श्रुतिपूरक समय प्रदान किया जायेगा।
5. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(s) के तहत प्रभावित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत से कम निःशक्तता) की श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्पिता के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण—पत्र (आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध Appendix-D) एवं दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा और/या श्रुतिपूरक समय प्रदान किया जायेगा। ऐसे अन्यथियों को श्रुतलेखक की सुविधा और/या श्रुतिपूरक समय देय नहीं होगा।
6. श्रुतलेखक के संबंध में विस्तृत निर्देशों एवं प्रमाण—पत्रों का आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध "Candidate Information> Important Downloads> Instructions for availing services of Scribe" के अन्तर्गत अवलोकन करें। वेबसाईट पर उपलब्ध श्रुतलेखक संबंधी इन निर्देशों को विज्ञापन का भाग / हिस्सा माना जायेगा।

#### Scheme of Examination

S.No.	Subject	No. of Questions	Total Marks	Examination Duration
1.	Concerned Subject (as prescribed in qualification)	150	150	2 Hours & 30 Minutes
	Total	150	150	

Note:- The detailed Syllabus will be intimated to the candidate within the stipulated time in the manner as the Commission deems fit.

1. The competitive examination shall carry 150 marks and 150 questions of Multiple Choice Type questions.
2. There shall be one paper. Duration of Paper will be Two hours and Thirty Minutes.
3. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one-third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.

Explanation:- Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.

उक्त पद हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए ओ.एस.आर. उत्तरांक में प्रश्नों के विशेष निर्देश:-

1. Each question has five options marked as 1, 2, 3, 4, 5. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.
2. It is mandatory to fill one option for each question.
3. If you are not attempting a question then you have to darken the circle '5'. If none of the five circles is darkened, one third (1/3) part of the marks of question shall be deducted.
4. After solving question paper, candidate must ascertain that he/she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the questions. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for this.
5. A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% questions shall be disqualified.

अति महत्वपूर्ण बिन्दु/नोट :-

1. अन्यथा Online Application Form में अपना वही मोबाइल नम्बर व ई—मेल आई.डी. अकित करें जिस पर वह परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS & E-Mail के माध्यम से चाहता है। ऑनलाइन आवेदन में अकित मोबाइल नम्बर व ई—मेल आई.डी. बदलने/बद्द होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अन्यथा की स्वयं की रिमेंडरी होगी।
2. अन्यथा यथासम्मत मोबाइल नम्बर एवं पत्र व्यवहार के पते में परिवर्तन नहीं करें यदि परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो इसकी सूचना आयोग को जीवित रखें।
3. आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन—पत्र व्यापूर्वक भरें। अपना ऑनलाइन आवेदन—पत्र अनित्य रूप से Submit करने से पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियों से आशक्त हो ले कि सभी प्रविष्टियां सही—सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आयोग द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी।
4. अन्यथा आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अन्तिम तारीफ दिनांक को इन्जिनियर किये बिना ऑनलाइन आवेदन करें। अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए आयोग नहीं होकर अन्यथा स्वयं जिम्मेदार होगा।
5. आवेदक द्वारा स्वयं ई—पत्र/अन्य लिंगिंस्ट्रोटर स्वयं आवेदन—पत्र भरते/भरते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि/भूलबश त्रुटि हो जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इसलिए आवेदक सर्वप्रथम ऑनलाइन आवेदन—पत्र के Preview में अपनी जाति/वर्ग/श्रेणी, आयु (जन्म दिनांक), विषय, योग्यता इत्यादि संबंधी दर्ज प्रविष्टियों की जांच आवश्यक रूप से करने के पश्चात त्रुटि होने पर उहौं सुधारने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन—पत्र को Submit करें और उसका प्रिन्ट लिंक उसकी जांच आवश्यक रूप से पुनः कर लें। अगर फिर भी कोई गलती/त्रुटि पाई जाती है, तो आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन—पत्र में संशोधन की निर्धारित प्रक्रियानुसार संशोधन आवश्यक रूप से कर लें। इसके पश्चात किसी प्रकार का कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन संशोधन/परिवर्तन स्ट्रोटर की रूपरूपीया एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण स्वायत्त रूप से करने के पश्चात त्रुटि होने पर उहौं सुधारने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन—पत्र को यह भी हीदायत दी जाती है कि आवेदक अगर ई—पिनियर अथवा अन्य स्ट्रोटर को यह भी हीदायत हो तो आवेदक रूप स्वयं ई—पिनियर अथवा अन्य स्ट्रोटर के भरारेस न छोड़े कि उनके द्वारा आपका ऑनलाइन आवेदन—पत्र सही—सही भर दिया होगा/जायेगा। किसी भी प्रकार की गलत सूचना भरे जाने पर आयोग अन्यथा के विरुद्ध कार्यवाही की रूप से जाने हेतु स्वतंत्र होगा।
6. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो इसे अधिकारों का परित्याग मानते हुये आवेदन पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित अवधि के पश्चात श्रेणी में सुधार की सुविधा/अनुमति नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन—पत्र आयोग द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समर्तता जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/अधिकारी वर्ग से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/सूर्यपूर्व सैनिक/अनुसूचित क्षेत्र/विद्यार्थी विवाह/तालिकाशुदा/परिव्यवहार/विकलागता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मन्त्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य वर्ग के अन्यथा Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अनित्य दिनांक पश्चात/संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे श्रेणी वर्ग/भरी/भरा है, उसी श्रेणी वर्ग/वर्ग में ही मानकर कार्यवाही की जाएगी। अन्यथा/आवेदक द्वारा जिस श्रेणी/वर्ग में ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरा है उस संबंधित पर्याप्त वर्ग/वर्ग से संबंधित प्रमाण—पत्र/दस्तावेज जो कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का/तक का बना होता चाहिए, यथा समय प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक/अन्यथा की प्रात्रता को अनारक्षित/मूल वर्ग की विक्षित के विरुद्ध विचारित किया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अन्यथा की होगी।
7. आवेदक जिनके ऑनलाइन आवेदन पत्र, आवेदन—पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक आयोग कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को आयोग

- द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से संबंधित भर्ती परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश करने का यह अनिप्राय नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अनिम रूप से संभवी मान जी गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित प्रविष्टियाँ आयोग द्वारा सही मान ली गई हैं। आयोग/विभाग द्वारा आवेदकों की पात्रता की जाँच अलग से की जायेगी। अस्थाई रूप से घटना होने की स्थिति में आवेदन को विस्तृत आवेदन-पत्र ऑनलाइन भरना होगा। आयोग समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियोगी एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूत्पूर्व सैनिक/अनुसूचित क्षेत्र/विधाय/विचित्र विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी) तथा विज्ञापन में उल्लेखित अन्य शर्तों के परिणामस्वरूप अन्यथीं की अपात्रता ज्ञात होने पर इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अन्यथीं की होगी।
8. किसी भर्ती परीक्षा में अस्थाई रूप से सफल घोषित होने के उपरान्त आयोग द्वारा अन्यथीं को विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाने हेतु निर्धारित समयावधि के लिए लिंक खोला जायेगा। निर्धारित समयावधि के उपरान्त यह लिंक रुक्त ही निक्षिय हो जायेगा। इसके उपरान्त किसी भी प्रकार से विस्तृत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं अन्यथीं की अन्यथिता रद्द कर दी जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अन्यथीं की होगी।
  9. माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.Special Appeal Writ No. 1631/2017 आरपीएससी बनाम प्रियंका जैन व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2017 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्राप्ति की अनिम दिनांक तक विधाय/परित्यक्ता/विचित्र विवाह/तलाकशुदा वर्ग में आवेदक महिला द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् पुनर्विवाह कर दिया जाता है तो भी उसे विधाय/विचित्र विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता वर्ग का लाभ दिया जायेगा।
  10. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने/त्रुटि सुधार संशोधन अवधि के पश्चात् कोई अन्यथीं आकस्मिक रूप से दिव्यांग/विधाय हो जाता/जाती है तो उसे लिखित परीक्षा/सैनिक परीक्षा/साक्षात्कार के अंतिम परिणाम से पूर्व वर्ग परिवर्तन के लिए लिंक खोला जायेगा। इसके उपरान्त यह लिंक रुक्त हो जायेगा। इसके उपरान्त किसी भी प्रकार से विस्तृत आवेदन पत्र स्वीकार्य होगा। किसी परीक्षा के एक से अधिक वर्ग होने पर प्रथम चरण की परीक्षा उपरान्त अन्यथीं विधाय/दिव्यांग होता है तो वर्ग परिवर्तन का लाभ आने वाले परिणाम में ही देय होगा, परन्तु पूर्व के परिणामों के इस आधार पर दिव्यांग होने की होगी।
  11. विचित्र विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला अन्यथीं को ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक सक्षम न्यायालय द्वारा पारित न्यायालय की डिक्री (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में DBSA No. 72/2022 के निर्णयानुसार) प्रस्तुत करने पर ही आखण्ण का लाभ प्रदान किया जायेगा। परित्यक्ता/तलाकशुदा/विचित्र विवाह आवेदक को तलाक सम्बन्धी प्रकरण/वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन/लिमिट है एवं डिक्री ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्ति नहीं होती है, जो परित्यक्ता/विचित्र विवाह/तलाकशुदा श्रेणी में लाभ देय नहीं होगा।
  12. विचित्र विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक तक एवं विधाय महिला को आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा विधाय के द्वारा वर्ग/श्रेणी संशोधन करने पर उसे वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  13. आवेदक उक्त पद हेतु तभी आवेदन करें जब वह उक्त पद हेतु विज्ञापन में निरिचित निन व उच्च आयु सीमा के अन्तर्गत वाचित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सम्पूर्ण मानदण्ड/मापदण्ड पूर्ण करता है। विज्ञापन में दी गई वाचित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अंतिरिक्त अन्य किसी योग्यता एवं अनुभव को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक के पास विज्ञापन में उल्लिखित अनुसार शैक्षणिक/प्रौद्योगिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण-पत्र होने पर ही पात्र माना जायेगा।
  14. आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आयु सीमा में छूट के अंतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई निननम आयु एवं अधिकतम आयु संबंधी छूट नहीं दी जायेगी।
  15. परीक्षार्थियों को ई-प्रवेश-पत्र पर उल्लिखित विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
  16. परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र/ओ.एम.आर. पत्रक/उत्तर पुरुषों में अंकित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दिया जाना आवश्यक होगा, परीक्षार्थी द्वारा दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यान्वयी नहीं किया जायेगा।
  17. प्रश्न-पत्र में त्रुटि होने अथवा एक से अधिक उत्तर गलत/सही होने अथवा उत्तर कुंजी में गलती/त्रुटि अथवा प्रश्नोत्तर के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की शिक्षित में आयोग के विषय विशेषज्ञों के पैनल द्वारा तैयार की गई अनिम उत्तर कुंजी के आधार पर जारी परिणाम सभी अन्यथीं को मान्य होगा। उसमें किसी प्रकार का कोई वाद-विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
  18. परीक्षार्थी द्वारा केंद्रीयीक/अभियागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यः पालन नहीं करने/परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने/परीक्षाका में किसी प्रकार की शिकायत के होने की स्थिति में लिखित में शिकायत देने के स्थान पर परीक्षा में व्यवधान/हांगाम करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विलद दिखार करने सहित राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के अनुसार आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यान्वयी की जायेगी।
  19. यदि किसी अन्यथीं/परीक्षार्थी को आयोग/संघ लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती एजेंसियों की किसी भी भर्ती/परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग/उपयोग या अनुचित/अभद्र व्यवहार के लिए भविष्य की परीक्षाओं/साक्षात्कारों आदि से विवरित (Debar) किया गया है, तो उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं/साक्षात्कार में सम्भित होने की अनुचित प्रदान नहीं की जायेगी।
  20. राज्य कर्मचारी को देव लाभ यथा आयोगी में छूट, आक्षण इत्यादि केवल राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को ही प्राप्त है। अन्य राज्य के कर्मचारी या केन्द्र सेवा के कर्मचारी सामान्य अन्यथीं ही माने जायेंगे, उन्हें उक्त लाभ नहीं दिया जायेगा।
- प्रमाण-पत्रों का सत्यापन :-**
- आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूत्पूर्व सैनिक/अनुसूचित क्षेत्र/विधाय/विचित्र विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य) का लाभ तभी ही देय होगा जबकि परीक्षा/मुख्य परीक्षा/सैनिक परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उसकी पात्रता की जाँच में दस्तावेज सही पाये गए हों। अतः पात्रता की जाँच हेतु सुनिश्चित करना लिखित रूप से करना चाहिए।
1. कार्मिक (क-2) विभाग 20.01.2022 एवं दिनांक 17.10.2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग\* के अन्यथीयों को आक्षण का लाभ लेने हेतु जारी प्रमाण-पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। परन्तु प्रस्तुति करने के अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होता है तथा अन्तिम तिथि के पश्चात् जारी किया हुआ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया होता है तो उसे अन्यथा उत्तर कुंजी के आधार पर जारी परिणाम सभी अन्यथीं को मान्य होगा।
  - \* Note: सामाजिक न्याय एवं अधिकारियों के विषय विशेषज्ञों के पैनल द्वारा तैयार की गई अनिम उत्तर कुंजी की अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विलद दिखार करने सहित राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के अनुसार आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यान्वयी की जायेगी।
  2. पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रियंका विभाग के परिपत्र दिनांक 06.05.2022 के अनुसार जिस व्यक्ति के पास पूर्व का EWS प्रमाण पत्र बना हुआ था परन्तु आवेदन के समय उसके द्वारा EWS प्रमाण पत्र बना हुआ था तभी उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर उसकी पात्रता पर विचार किया जायेगा। यदि किसी अन्यथी के पास आवेदन की अनुचित प्रदान नहीं की जायेगी।
  3. पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के विवरण एवं क्रीमीलेयर की विवरण एवं क्रीमीलेयर की प्रविष्टियाँ सही-सही एवं पूर्ण भरी गई हैं। पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र में नियमानुसार प्राप्ति के नाम की आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं/साक्षात्कार में समाप्ति विवरण एवं क्रीमीलेयर की विवरण एवं क्रीमीलेयर की प्रविष्टियाँ सही-सही होनी चाहिए।
  4. पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के विवरण एवं क्रीमीलेयर की विवरण एवं क्रीमीलेयर की प्रविष्टियाँ सही-सही होनी चाहिए।
  5. पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जनजाति की विवरण एवं क्रीमीलेयर की विवरण एवं क्रीमीलेयर की प्रविष्टियाँ सही-सही होनी चाहिए।
  6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण-पत्र (Income & Assets Certificate) अन्यथीं एवं उसके पियांति के नाम को दर्शाते हुए नियमानुसार पारिवारिक आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विवरण एवं क्रीमीलेयर की विवरण एवं क्रीमीलेयर की प्रविष्टियाँ सही-सही होनी चाहिए।
  7. Note: विवाहित महिला आवेदक को आवेदित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त किया हुआ होना चाहिए। अतः ऐसे अन्यथीयों को Online Application Form में सामान्य वर्ग के आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिए तथा अनुसूचित क्षेत्र का प्रमाण-पत्र कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार उत्तर अधिसूचना जारी होने के पश्चात् का एवं ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का जारी किया हुआ होना चाहिए।
6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण-पत्र (Income & Assets Certificate) अन्यथीं एवं उसके पियांति के नाम को दर्शाते हुए नियमानुसार पारिवारिक आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विवरण एवं क्रीमीलेयर की विवरण एवं क्रीमीलेयर की प्रविष्टियाँ सही-सही होनी चाहिए।
- Note: विवाहित महिला आवेदक को आवेदित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त किया हुआ होना चाहिए। अतः ऐसे अन्यथीयों की प्रविष्टियाँ सही-सही होनी चाहिए।
7. शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता/अनुभव आवेदन की अंतिम दिनांक/परीक्षा/साक्षात्कार दिनांक के अनुसार प्राप्ति की विवरण एवं क्रीमीलेयर की विवरण एवं क्रीमीलेयर की प्रविष्टियाँ सही-सही होनी चाहिए। अर्जित होना आवश्यक है तथा शोषण सभी प्रयोग पत्र जैसे- श्रेणी/वर्ग/जाति/अनुसूचित क्षेत्र श्रेणी (सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार प्रमाण-पत्र), आयु (आयोग की गणना हेतु सैकण्डरी परीक्षा प्रमाण-पत्र), उत्कृष्ट खिलाड़ी (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा-निर्देशानुसार प्रमाण-पत्र), दिव्यांगता\* (सम्पूर्ण भारत वर्ग के किसी भी

राज्य के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक का दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जिसमें निःशक्तिता के श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख हो), राज्य कर्मचारी, गैर राजपत्रित कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी, विभागीय कर्मचारी इत्यादि का प्रमाण नियमनुसार जारी होना आवश्यक है। विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं पति के नाम से लिंक प्रमाण पत्र (यथा – विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, जन्मदाता पत्र, घटाना पत्र, आधार कार्ड, पति की नाम से मृत्यु निवास पत्र इत्यादि) वर्षा/श्रेणी संस्थान की दिनांक तक प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा विधवा श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा। प्रकार परिवृत्त तलाकशुदा / विचित्रन विवाह श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास माननीय न्यायालय द्वारा परित तलाक सम्बन्धी डिक्री (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में DBSA No. 72/2022 के निर्णयानुसार) ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है, अन्यथा परिवृत्त / विचित्रन विवाह/तलाकशुदा श्रेणी/वर्षा का लाभ देय नहीं होगा।

\*नोट:- निदेशालय विशेष योग्यजन के आदेश दिनांक 28.02.2024 के अनुसार दिनांक 01.03.2024 के पश्चात् जारी नवीन दिव्यांगता प्रमाण पत्र U.D.I.D./स्वावलम्बन पोर्टल से जारी किये हुये ही मान्य होंगे।

8. मूलपूर्व सैनिक के संबंध में प्रावधान – कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पेशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से नियुक्त प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उस सम्बित्त नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक नियाजन पत्र (N.O.C.) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति के दो दिनों की लालाकारी के भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुरोध जायेगा। कार्मिक (क-4/2) विभाग के पत्र दिनांक 19.07.2021 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किये जाने के पश्चात् सेवानिवृत्ति के प्रमाण का प्रस्तुतिकरण के लिए 01 वर्ष की अवधि की जाणना आवेदन की अंतिम तिथि से की जायेगी। साथ ही यदि किसी भूतपूर्व सैनिक ने आरक्षण का लाभ लेने के पश्चात् राजस्थान सरकार के अधीन पुनर्नियोजन के प्रयोजन के लिए उसकी भूतपूर्व सैनिक की प्राप्तिथित समाप्त हो जायेगी। राजस्थान सरकार के अधीन पुनर्नियोजन ग्रहण करने के पश्चात् किसी व्यक्ति को एक सिविल कर्मचारी का नाम जायेगा। परन्तु सीधी भूती की दशा में जहां किसी भी दृष्टि के लिए, किसी निमत्त वर पद को नियोजित है, भूतपूर्व सैनिक को केवल इस कारण से कि वह, सरकारी सेवा में निमत्तर वर्ष के अनुभव उच्चतर पद पर सीधी भूती के लिए अपेक्षित है, पर नियोजित है, भूतपूर्व सैनिक प्रवर्वा के कायदे से विवरित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह ओर कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन का ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद वर्षों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारंभिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिनके लिए उसने आवेदन किया है, के लिए आवेदन की तारीख-वार ब्यौरों के बारे में कोई रखतः घोषणा पत्र/वचनभंग देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्वा के कायदे से विवरित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह भी कि भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नैमित्तिक/संविधान/आगामी/तर्वर्ष आधार पर उपनियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्वा के कायदे से विवरित नहीं किया जायेगा। “कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवाएं (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभ, राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही देय है।”

9. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वाच्छनीय होगा।

10. ऐसे कार्ड ई अमर्याई किसी 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चों/सन्तानों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति नहीं रिहर्ट किया जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों/सन्तानों की संख्या वें बढ़ातीरी नहीं होती; परन्तु यह ओर कि जहां किसी आवेदक के पूर्वतः रसव से केवल एक बच्चा/सन्तान है, फिर्ते किसी एक प्रश्चात्वर्ती प्रसव से एक अधिक बच्चे/सन्ताने पैदा होती है, वहाँ बच्चों/सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों के एक इकाई समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वतः प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी। परन्तु यह भी कि ऐसा कार्ड अमर्याई जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उपनियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं है तो उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो। परन्तु यह कि इस नियम के उपबंध किसी विधिन एवं विधिन विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता श्रेणी की महिलाओं की नियुक्ति पर लागू नहीं होगा। तत्सम्बन्धी शपथ-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वाच्छनीय होगा।

11. आवेदक को विज्ञापन में उल्लेखानुसार आवश्यक वांछित शैक्षणिक योग्यता व अनुभव प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

12. विविध विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को औनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक तक एवं विवाह महिला को आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा विधान के द्वारा वर्ग/श्रेणी संशोधन करने पर उसे वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

13. आवेदक को अन्तिम शैक्षणिक संस्था का चरित्र प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें चरित्र के सम्बन्ध में कम से कम “अच्छा” का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा।

14. आवेदक को चयन उपरान्त आवश्यक समझदारी पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के खिलाफ ऐसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। साथ ही किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विवादाधीन होने पर नियुक्ति हेतु अपार होगा।

15. आवेदक को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जांच संबन्धी चिकित्सा प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णपूर्ण से रखत है एवं राज्य सेवा के केन्द्रीय/राज्य/सरकारी उपकरणों में नियुक्त है एवं उनका चयन उक्त पदों हेतु भर्ती में हो गया है, उन्हें अपने नियोजिता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

16. अमर्याई की प्राप्ताता के संबंध में संबंधित सेवा नियम के अनुसार आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

17. अमर्याई की प्राप्ताता के संबंध में संबंधित सेवा नियम के अनुसार आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

आवेदन-पत्र में गलत/ट्रिपुर्ण सूचना/ अपूर्ण आवेदन-पत्र नहीं भरने के सम्बन्ध में विशेष निर्देश:-  
अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व एकबारीय पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए परीक्षार्थियों हेतु आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी नवीनतम एवं संबोधित आवेदन-पत्र व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से करते हुए आवेदन-पत्र भरें। गलत/ट्रिपुर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र भरने पर आवेदक का आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जायेगा, जिसकी समर्पण जिम्मेदारी स्थर आवेदक की होगी। गलत/ट्रिपुर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र के सुधार हेतु व्यक्तिताः/ऑफलाइन प्राप्ति/ऑफलाइन प्राप्ति/ऑफलाइन प्राप्ति/पत्र-व्यवहार इत्यादि स्थिकार नहीं किया जाएगा। चूंकि आयोग द्वारा अभ्यर्थी की पात्रता की जांच संबंधित भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होने के पश्चात अस्थाई रूप से वर्यनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत विन्दुत आवेदन-पत्र से पूर्व में किये गये ऑनलाइन आवेदन-पत्र में भरी गई सूचना के आधार पर की जाती है, इसलिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को सही मात्रते हुए भर्ती परीक्षा में अस्थाई प्रयोग दिया जायेगा। अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में गलत/ट्रिपुर्ण सूचना अथवा अपूर्ण सूचना भरी है, तो अभ्यर्थी का चयन रद्द करने का अधिकार आयोग का होगा व इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी जिसके सम्बन्ध में अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पद हेतु समस्त स्थिति उक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है अगर किसी भी आवेदक/ई-मित्र/अन्य स्त्री उक्त द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की कोई गलती/छुटि/लोप/अपूर्ण रूपाना रह जाती है तब उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आवश्यक वाइट संशोधन नहीं किया जाता है या विज्ञापन के अनुसार पूर्ण पात्रता नहीं रखता है, इत्यादि के कारण आवेदक का ऑनलाइन आवेदन-पत्र आयोग द्वारा खारिज/निरस्त कर दिया जाता हैं, तो इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और अभ्यर्थी को कानूनी शक्तिकालीन नहीं होगा।

कांगड़ा गोपनीय अधिकारी ना भाग हाना।  
न्य बिन्दु व सूचना :- एवं बारीय पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट और उपलब्ध नदीनामन एवं संशोधित परीक्षार्थीयों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बंधित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त इस परीक्षा के संबंध में समाचार-समय पर जारी सूचनाओं को अवलोकन आयोग की वेबसाइट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त परीक्षी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित सभानालंक पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरसाप्ति संख्या 145-2635212 एवं 2635200 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यहार संचित राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को संबोधित किया जाए।

१७८५  
(रामनिवास महेता)

卷之三十一  
卷之三十一

दिनांक : 17.07.2025  
नम्बर : F. A. (01)Exam/A.En.(Agriculture)/EP-I/2025-26 नं ५०

दिनांक : 17.07.2025  
दिनांक 19.06.2025 के संदर्भ  
संयुक्त सचिव